

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क० 163/2015 अ०फ०

संस्थिति दिनांक 26.02.2015

आजाद खॉ पुत्र शहजाद खॉ, उम्र 48 वर्ष।

निवासी ग्राम रिठौरा थाना रिठौरा, जिला मुरैना म०प्र०।

.....अपीलार्थी

**बनाम**

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ

तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....प्रतिअपीलार्थी/अभियोगी

---

अपीलार्थी द्वारा श्री ऊदलसिंह गुर्जर अधिवक्ता

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

---

न्यायालय श्री केशव सिंह, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक

प्रकरण क्रमांक 717/2010 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 16-02-2015

से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 163/2015

---

// निर्णय //

(आज दिनांक 11-05-2017 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी की ओर से यह दांडिक अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (श्री केशव सिंह) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 717/2010 में पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 16.02.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए गुरुत्तर धारा 325 भा०दं०वि० के अपराध में 6 माह के कठोर कारावास एवं 300/- रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड अदायगमी के व्यतिक्रम की दशा में 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश दिया है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि फरियादिया ऊषा खॉ जिसकी ससुराल रिठौरा मलानपुर में है, उसे उसके पति ने छोड़ दिया है जिस कारण वह अपने मायके में लडके भूरे खॉ

के साथ रहती है, जहाँ 4-6 महीने से उसका पति आजाद भी आने जाने लगा था, वह शराब पीता है। दिनांक 20.09.2010 को फरियादिया अपनी बहन ताराबाई के घर अंसार मोहल्ला मौ गई थी, उसका पति आया और घर का ताला तोड़ दिया, उसने आकर पूछा तो आजाद उसे गाली गलोज कर लात घूसों से मारपीट करने लगा, जिससे उसके बाएँ आँख के उपर व बाएँ हाथ के पंजे पसलियों में मूदी चोटें आई। मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया। उक्त आशय की रिपोर्ट थाना मौ में की गई जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर एवं अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण कर अधीनस्थ न्यायालय में आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपी के विरुद्ध 294, 325, 323 भा.द.वि के आरोप पाये जाने से आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अस्वीकार किया।

03. अधीनस्थ न्यायालय में अभियोजन साक्षी श्रीमती रुषा अ0सा0 1, बरकतस्याह अ0सा0 2 एवं डॉ० उपेन्द्र सिंह अ0सा0 3 की साक्ष्य कराई गई। दंड प्रक्रिया संहिता 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपने आपको निर्दोष होकर झूठा व्यक्त किया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दी गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 294 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए उसे भा0दं0वि0 की धारा 323, 325 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए गुत्तर धारा 325 भा0दं0वि0 में उक्तानुसार दंडित किया है जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गई है।

04. अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश को विधि एवं तथ्य के विपरीत, साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास, साक्ष्य का विपरीत निष्कर्ष निकालने, साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन किये जाने में त्रुटि किये जाने एवं आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश विधि के मान्य सिद्धांत के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश को अपास्त करने और अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

05. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश विधि एवं तथ्यों

के अनुरूप होना दर्शाते हुये अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ऊदलसिंह गुर्जर एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र० 717/2010 (शासन विरुद्ध आजाद खॉ) का अवलोकन किया गया।

07. इस अपील के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

1. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने दांडिक प्र० क्र० 717/2010 में आरोपी/अपीलार्थी की दोषसिद्धि का जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण है?
2. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण साक्ष्य विवेचन किया है?
3. क्या अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य?

### ::- निष्कर्ष के आधार:-

08. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में साक्ष्य से ही यह तयि प्रमाणित होता है कि जैसा फरियादिया ने स्वीकार किया है कि उसके पति आरोपी 15 वर्ष से उसे लेने कभी नहीं आया, ऐसी स्थिति में अचानक आरोपी फरियादिया के पास क्यों गया यह संदेहास्पद है और फरियादिया ने मात्र रंजिश के कारण अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराई है।

09. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादिया स्वयं ऊषा खॉ अ०सा० 1 के द्वारा लेख कराई गई है। घटना के संबंध में यदि फरियादिया ऊषा खॉ अ०सा० 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो फरियादिया का अपने कथनों में कहना रहा है कि आरोपी उसका पति है, घटना के समय वह बीमार थी और अपनी बहन के घर पर थी, उसी समय आरोपी ने आकर उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया और जब उसने कहा कि ताला क्यों तोड़ दिया तो आरोपी गाली गलोज करने लगा और उसके साथ मारपीट की एवं दो लाठियाँ उसे मार दी। फरियादिया का यह भी कहना रहा है कि आरोपी ने उसकी वाएं पसली

में लाठी मारी थी जिससे उसे चोट आई थी, घटना के समय बरकतस्याह, इस्राहीम थे। फिर वह थाने रिपोर्ट करने गई थी।

10. फरियादिया ने बरकतस्याह अ0सा0 2 को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया है, किन्तु यदि इस संबंध में बरकतस्याह अ0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का कहना रहा है कि वह फरियादिया ऊषा खॉ को नहीं जानता है और उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है और सूचकप्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक को साक्षी के समक्ष रखा है, किन्तु उसके उपरांत भी इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

11. प्रकरण में फरियादिया ऊषा खॉ का चिकित्सीय परीक्षण साक्षी डॉ0 उपेन्द्र सिंह अ0सा0 3 के द्वारा किया गया है। इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि दिनांक 20.09.2010 को स्वास्थ्य केन्द्र मॉ में आहत ऊषा खॉ पत्नी आजाद खॉ का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसके परीक्षण में निम्न चोटें पाई थी—

1. एक छिला हुआ घाँव 3 x 2 मि.मी. वाईं भौंह के बाहरी हिस्से में।
2. एक छिला हुआ घाँव 3 x 2 मि.मी. दाहिनी हथैली के ऊपर वाले हिस्से में।
3. एक नीलगू निशान 4 x 6 से.मी. छाती के वाईं तरफ वाहरी हिस्से में पाया था।

साक्षी डॉक्टर उपेन्द्रसिंह अ0सा0 3 का अपने कथनों में कहना रहा है कि आहत को चोटें सख्त एवं भौतरी वस्तु से पहुँचाई गई थी जो कि 24 घण्टे के भीतर की थी। चोट क्रमांक 3 के एक्सरे की सलाह दी थी और एक्सरे परीक्षण में पाया था कि आहत की छाती के वाएं हिस्से में 9वे नम्बर की पसली के मध्य भाग में फ्रैक्चर था।

12. प्रकरण में अभियोजन की ओर से विवेचना करने वाले अधिकारी की साक्ष्य नहीं कराई है, किन्तु प्रकरण में प्र.पी. 1 के दस्तावेज को जो कि पुलिस हस्तक्षेप एवं अपराध की सूचना है को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है। प्रकरण में यदि फरियादिया ऊषा अ0सा0 1 के सम्पूर्ण कथन का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी के कथनों में यह तथ्य आया है कि आरोपी और फरियादी दस साल



तक साथ रहे, तत्पश्चात् घटना के लगभग 15 वर्ष पूर्व से फरियादिया ऊषा आरोपी से प्रथक निवास कर रही थी। प्रथक निवास करने का कारण फरियादिया ने आरोपी के द्वारा शराब पीकर मारपीट करना बताया है।

13. फरियादिया आरोपी के विरुद्ध मिथ्या आरोप क्यों लगा रही है, इसका कोई स्पष्टीकरण और आधार बचाव पक्ष की ओर से नहीं सुझाए गए हैं, जबकि प्रकरण में फरियादिया को घटना में चोटें कारित हुई इस तथ्य की एवं समयावधि की पुष्टि साक्षी डॉक्टर उपेन्द्रसिंह अ0सा0 3 के द्वारा की गई है। अतः साक्षी उषा के समर्थन के लिए प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य रिकार्ड पर है, जिससे फरियादिया के कथनों की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में फरियादिया के सम्पूर्ण कथनों का अवलोकन किया जाए तो उसके कथनों में सूक्ष्म विरोधाभास अवश्य है, किन्तु इस प्रकृति के विरोधाभास नहीं है जो कि घटना के मूल तक जाते हो और साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हो। अतः प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी/अपीलार्थी ने घटना दिनांक को फरियादिया को गंभीर उपहति एवं उपहति कारित की।

14. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। घटना दिनांक 22.09.2010 की होनी दर्शाई गई है। आरोपी/अपीलार्थी लगभग 7 वर्षों से दांडिक विचारण का सामना कर रहा है, आरोपी ने फरियादिया के किसी मार्मिक भाग पर चोट पहुँचाई हो ऐसा मामला नहीं है। आरोपी/अपीलार्थी का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड रहा हो अभियोजन की ओर से ऐसा भी प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी/अपीलार्थी को कारावास भेजा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

15. परिणामतः दण्ड के प्रश्न पर आरोपी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आरोपी/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए दण्डादेश के स्थान पर भा.द.वि की धारा 325 के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 3000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में 03 माह का सश्रम कारावास प्रथक से भुगताया जावे।

16. आरोपी/अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जमा की गई अर्थदण्ड की राशि

समायोजित की जाए।

17. आरोपी/अपीलार्थी की ओर से अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि प्रतिकर स्वयं फरियादिया को दिलाई जावे।

18. निर्णय की प्रति सहित मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)